

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 14/2026

1. राज्य सरकार जरिये पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी, श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री सागर मिश्रा पुत्र श्री ब्रहाचारी, निवासी 116 हरमिलाप कॉलोनी, श्रीगंगानगर।
2. श्री राम मोमोज जंक्शन, रिद्धि सिद्धि प्रथम गेट के पास, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा सामग्री 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 8.1 किलोग्राम गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थी सागर मिश्रा, स्वयं।

निर्णय

दिनांक: 08.05.2026

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेशानुसार मध्य-पूर्व एशिया संकट के तहत एलपीजी आपूर्ति के कम में अवैध भंडारण, कालाबाजारी की शिकायत की जांच हेतु पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी गठित जांच कमेटी के साथ दिनांक 20.03.2026 को रिद्धि सिद्धि-प्रथम, मार्केट में स्थित श्री राम मोमोज जंक्शन पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री सागर मिश्रा पुत्र श्री ब्रहाचारी, 116 हरमिलाप कॉलोनी, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होंने स्वयं को उक्त होटल का मालिक बताया। श्री सागर मिश्रा की उपस्थिति में होटल का निरीक्षण किया गया। होटल की जांच में पाया गया कि होटल पर गैस सिलेण्डर का अवैध भंडारण पाया गया। मौके पर उक्त होटल पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये 02 सिलेण्डर भारत गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाये गये 02 वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री सागर मिश्रा पुत्र श्री ब्रहाचारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री सागर मिश्रा पुत्र श्री ब्रहाचारी के उक्त होटल में पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 8.1 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं श्री राजेश पुत्र श्री जगदीशराय, जाति वर्मा, निवासी 18 जीजी, श्रीगंगानगर, कार्यकर्ता गगन एचपी गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री सागर मिश्रा पुत्र श्री ब्रहाचारी द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 8.1 किलोग्राम गैस का दुरुपयोग किया जा रहा था। श्री सागर मिश्रा पुत्र श्री ब्रहाचारी द्वारा एलपीजी गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग)



3
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जवा 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 8.1 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने अपने जवाब के कथनों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के संस्थान से जवा किए गए सिलेण्डर का प्रयोग घर पर प्रयोग करने हेतु केवल मात्र संस्थान पर भरवाने के लिए रखे हुए थे। प्रार्थी को नियमों की पूर्ण जानकारी के अभाव के कारण यह त्रुटि हुई है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रकरण का आज ही नरगी का रुख अपनाते हुए निस्तारण किया जाए। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि सागर मिश्रा पुत्र श्री ब्रहाचारी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरुपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग), 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जवा 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 8.1 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश किया जाए।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी गठित जांच कमेटी के साथ दिनांक 20.03.2026 को रिद्धि सिद्धि-प्रथम, मार्केट में स्थित श्री राम मोमोज जंक्शन पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री सागर मिश्रा पुत्र श्री ब्रहाचारी, 116 हरमिलाप कॉलोनी, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होंने स्वयं को उक्त होटल का मालिक बताया। श्री सागर मिश्रा की उपस्थिति में होटल का निरीक्षण किया गया। होटल की जांच में पाया गया कि होटल पर गैस सिलेण्डर का अवैध भंडारण पाया गया। मौके पर उक्त होटल पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये 02 सिलेण्डर भारत गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाये गये 02 वजह सबूत जवा किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भंडारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री सागर मिश्रा पुत्र श्री ब्रहाचारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री सागर मिश्रा पुत्र श्री ब्रहाचारी के उक्त होटल में पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 8.1 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जवा जप्त किये गये एवं श्री राजेश पुत्र श्री जगदीशराय, जाति वर्मा, निवासी 18 जीजी, श्रीगंगानगर, कार्यकर्ता गगन एचपी गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जवा एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री सागर मिश्रा पुत्र श्री ब्रहाचारी द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 8.1 किलोग्राम



2
अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

गैस का दुरुपयोग किया जा रहा था। श्री सागर मिश्रा पुत्र श्री ब्रहाचारी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरुपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 8.1 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



3
(सुधीष कुमार)
अति० जिला मजिस्ट्रेट
अति(प्रशासक) कलेक्टर (मशा०)
श्रीगंगानगर